भारत सरकार खान मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1322 02 मई, 2016 को उत्तर के लिए

रक्षित खानें

1322. श्री आनंदराव अडसुलः श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार का विचार कंपनियों को अपने ऋण कम करने और बैंकों को कुछ निधियों की वसूली, जो लॉक हैं, करने में मदद करने के लिए विलय और अधिग्रहण के दौरान रिक्षित खानों हेतु अंतरण की अनुमित देने हेतु खनन संबधी कानूनों में संशोधन का है तथा यिद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस कदम से अन्य धातुओं वाली कंपनियों को भी लाभ मिलेगा जो चीन के सस्ते आयात की मार झेल रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का विचार विलय और अधिग्रहण के दौरान कुछ शर्तों के साथ रिक्षत खनन पट्टा अंतरण को अनुमित देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

- (क) जी हां । नीलामी से भिन्न माध्यम से प्रदान किए गए कैप्टिव खनन पट्टों के अंतरण की अनुमित देने के लिए खान और खिनज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2016 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा इसे 16.03.2016 को पारित किया गया । उक्त विधेयक, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को, उनके पास गिरवी रखी जोखिम वाली परिसम्पितयों को परिसमाप्त करने की भी सुविधा प्रदान करेगा । एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2016 को विचार एवं पारित करने के लिए राज्य सभा द्वारा लिया जाना है ।
- (ख) इस संशोधन के परिणामस्वरूप अन्य धातु कंपनियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा ।

(ग) नीलामी से भिन्न माध्यम से प्रदान किए गए कैप्टिव खनन पट्टों का हस्तांतरण, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित निबंधन और शर्तों तथा किसी भी राशि अथवा हस्तांतरण शुल्क के भुगतान के अध्यधीन होगा।
